पंचायत निगरानी संख्या : 224/2024

नवान : मांगीबेन दर्जी व अन्य बनाम बंशीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुवें
07-07-2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत पत्रावली दिनांक 08.01.2024 को न्यायालय हाजा को स्थानांतरित के बाद पक्षकारान/ वकुलाय को सूचित किया गया। न्यायालय हाजा को स्थानांतरित होने के बाद से ही न तो अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष न ही स्वयं प्रार्थी ने पैरवी हेतु अपनी उपस्थिति दी है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण की तलबी हेतु निगरानी में अंकित उनके हाल पते पर रजिस्टर्ड नोटीस दिनांक 27.01.2025 को प्रेषित किये गये, जिसमें निगरानीकर्ता संख्या 02 पावर्ती देवी का नोटीस पुनः न्यायालय हाजा को पूर्ण पते के अभाव में अदम तामील एवं निगरानीकर्ता संख्या 03 का नोटीस बाद तामील प्राप्त। निगरानी कर्ता संख्या 01 का नोटीस तामील अथवा अदम तामील अप्राप्त। निगरानीकर्ता के वर्तमान निवास स्थान का अन्य कोई पता, यदि है तो जानने का न्यायालय हाजा के पास अन्य कोई स्त्रोत भी नहीं है, और न ही इस न्यायालय से यह अपेक्षित है। यह अवश्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता पिछले 16 माह से पैराकारी हेतु न्यायालय हाजा में असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं हो रहे है। प्रार्थी का यह दायित्व है कि न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन उपस्थित रहें। लिहाजा निगरानीकर्ता की निरन्तर अनुपस्थिति में विचाराधीन पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 प्रार्थी के पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए आदेश 09 नियम 8 सी.पी.सी. के तहत अदम हाजरी/अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	

Scanned with OKEN Scanner